राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/22969   दिनांक: 29/10/21

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 70110 दिनांक 29.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 60–सी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 54–ई, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 50–बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2008 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 50–बी एव राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 69–ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुये दिनांक 31.12.2018 तक की सम्पत्तियो के फ्री होल्ड पट्टे हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार मापदण्ड/शुल्क निर्धारित किये जाते है:–

1. शहर की चार दीवारी, पुरानी आबादी, निजी अकृषि भूमि/आबादी भूमि, राजा–महाराजाओं/उनके परिवार/पूर्व जागीरदारों द्वारा विक्रय की गयी आबादी, ग्राम पंचायत, कस्टोडियन आदि के पट्टे व ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 1971, 1981, 1992 एवं 2007 के अन्तर्गत जारी किये गये आवासीय पट्टे या संपरिवर्तन आदेश की सम्पत्तियां।

   मौके पर उपलबध भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेजो के आधार पर 501/– रूपये में पट्टा जारी किया जायेगा तथा प्रस्तुत स्वामित्व के दस्तावेजों से आवेदित भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल अधिक होने पर राजकीय भूमि होने की स्थिति में आवासीय आरक्षित दर का 10 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर जो भी कम हो, राशि लेकर सम्पूर्ण भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जायेगा।

   यदि अतिरिक्त भूमि किसी संरक्षित स्थल/प्रतिबंधित भूमियां/सड़क/फुटपाथ का हिस्सा है तो उसका आवंटन नहीं किया जायेगा।

   (i). वर्ष 01.01.1992 से पूर्व की सम्पत्तियों के दस्तावेज दिनांक 27.09.2021 के आदेश अनुसार लिये जायेगें। दिनांक 01.01.1992 के पश्चात् की सम्पत्तियो के स्वामित्व दस्तावेज के साथ बिजली, पानी के बिल आदि सपोर्टिंग दस्तावेज के रूप मे लिये जायेगें।

   (ii). यदि सम्पत्ति धारी द्वारा आवासीय से भिन्न उपयोग किया जा रहा है तो आवासीय पट्टा प्राप्त कर इसे नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करवाया जाकर फ्री–होल्ड पट्टा दिया जायेगा। लेकिन कोई भी सम्पत्ति का गैर आवासीय दस्तावेज है तो उसे मान्यता दी जाकर तदानुसार नवीन पट्टा जारी किया जावेगा, उपरोक्त श्रेणियों के आवासीय/मिश्रित पट्टे जारी किये जावेगे।

(iii). बिन्दु संख्या 1 में जो सम्पत्तियां परम्परागत रूप से पूर्व में अस्तित्व में है। (जैसे ऊपर मकान–नीचे दुकान) वह आवासीय भू–उपयोग में अनुज्ञेय मानी जावेगी तथा उन पर पृथक से कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

(iv). मिश्रित से तात्पर्य नीचे दुकाने–ऊपर मकान।

(v). फ्री–होल्ड पट्टे पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। यदि 99 वर्षीय लीज डीड/पट्टा/रूपान्तरण आदेश सरेण्डर कर नया फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त किया जाता है तो बकाया लीज राशि एवं 10 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि देय होगी। यदि पूर्व में एक मुश्त 8 गुणा राशि जमा है तो उसे समायोजित किया जायेगा।

(vi). राजकीय कार्यालय हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(vii). नजूल सम्पत्तियों की दरें पृथक से तय की जावेगी।

नोट– पूर्व में निर्णित प्रकरणों को नहीं खोला जावेगा।

यह आदेश प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 की अवधि के दौरान प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कमांक:प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/22970-22982दिनांक: 29/10/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान–राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी